सत्यमेव जयते

**न्यायालय**

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 560 दर्ज तिथिः—01.08.2025

1. खंगारााराम पुत्र हीरााराम
2. किशनाराम पुत्र हीरााराम
3. ओमप्रकाश पुत्र हीरााराम
4. श्रीराम पुत्र हीरााराम
5. वीरा पत्नी हीरााराम
   जाति विश्नोई निवासी खिचड़ो का वास तहसील नोखड़ा

.....प्रार्थीगण

*बनाम*

1. तहसीलदार नोखड़ा
2. जगदीश पुत्र मोहन
3. भागीरथ पुत्र मोहन
   जाति विश्नोई निवासी खिचड़ो का वास तहसील नोखड़ा।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 785 रकबा 18.5669 है0 मौजा खिचड़ो का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में से रकबा 0.0760 है0 व 0.0480 है0 का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

समर्पण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—55 के तहत किया गया।

- कि उक्त आराजी के पश्चिम सेढद्ये पर स्थित विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 785 में से रकबा 0.0760 है0 व 0.0480 है0 भूमि का समर्पण निष्पादन किया। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होना शेष है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा किये दो अलग—अलग का समर्पण आपस में जुड़े हुए नहीं होने से समर्पण उद्देश्य सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा है।
- कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' में ए से बी व सी से डी स्थान पर समर्पण रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होना शेष है। परिशिष्ट 'अ' में ई से ए तक रास्ता आम लोगों व विद्यालय के आवागमन के काम आता है तथा मुख्य से जुड़ाव है।
- कि परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित स्थान पर रास्ता परिवर्तन नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूणरणीय क्षति कारित हो रही है तथा विद्यालय आवागमन में भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। परिशिष्ट 'अ' में ए से बी व सी से डी जो समर्पण हेतु आवेदित है। इसे परिशिष्ट 'अ' में ई से ए स्थान पर समर्पण किया जावे। उक्त आराजी प्रार्थीगण की है जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। मौके पर रास्ता भी ए से बी व सी से डी स्थान पर चलायमान नहीं होकर ई से ए स्थान पर चलायमान है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट 'अ' में समर्पण ए से बी व सी से डी के स्थान पर सपर्मण नहीं कर ए से ई स्थान पर समर्पण कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बाद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी में से दो अलग—अलग समर्पण रकबों की तरमीम परिशिष्ट—अ में ए से ई के अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

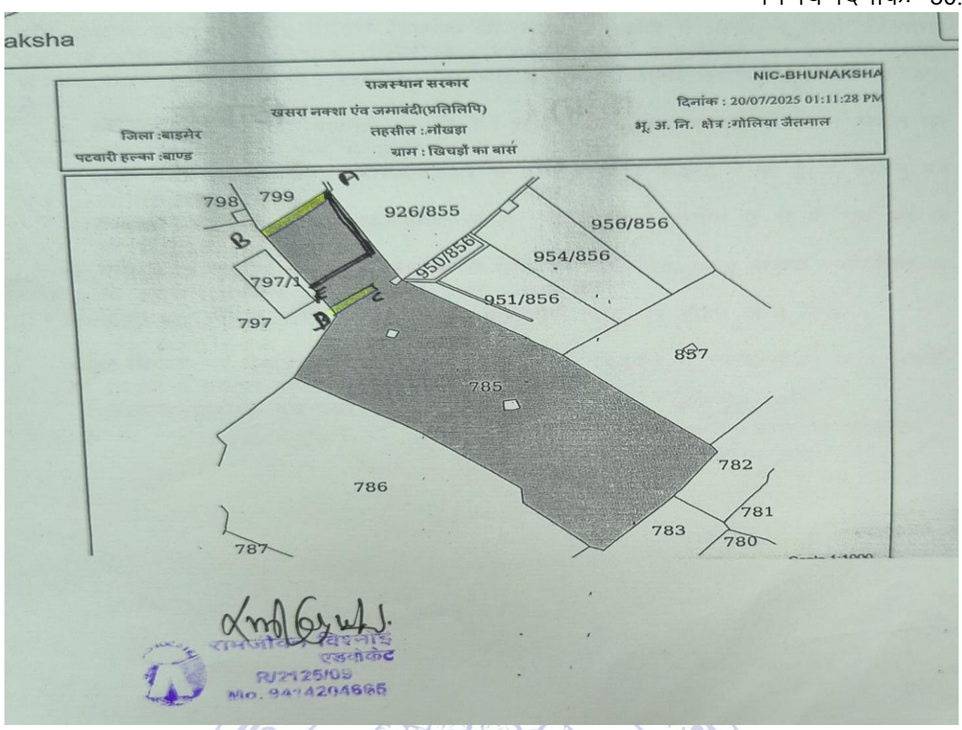


6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा का पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

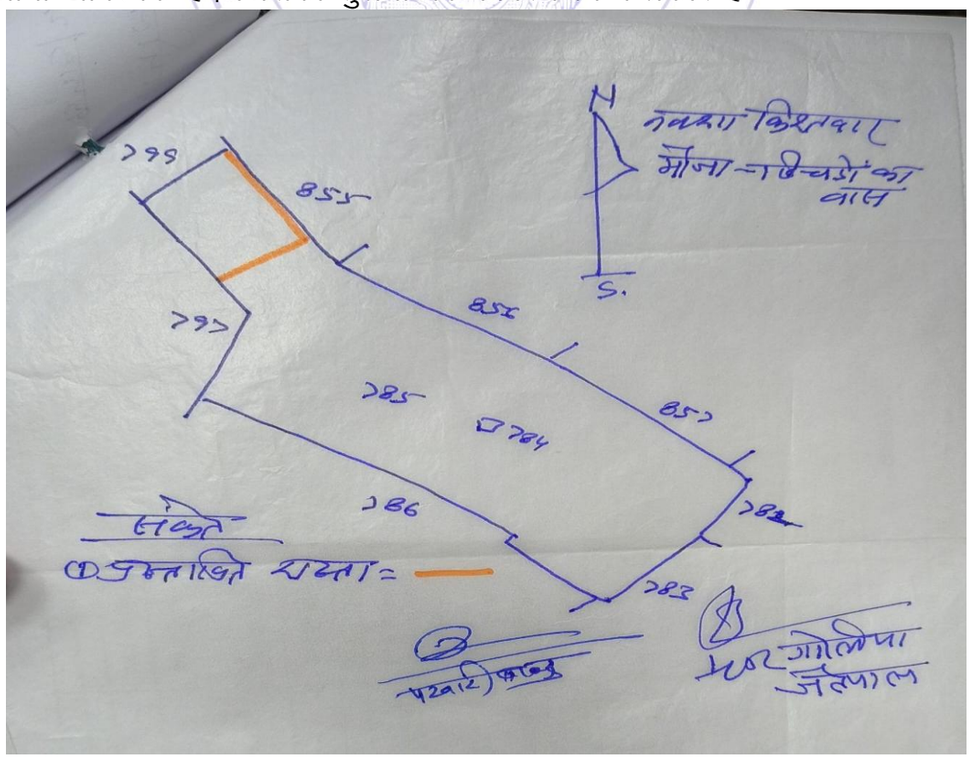


Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
    1. कि समर्पण आदेश में अंकित स्थान से भिन्न स्थान पर मौके पर वास्तविक रूप से रास्ता चालू है।
    2. उक्त परिशिष्ट 'अ' में अंकित बिन्दु सं. ए से ई के स्थान पर मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू है।
    3. उक्त परिशिष्ट 'अ' में अंकित बिन्दु सं. ए से बी एवं सी से डी स्थान पर रास्ता चालू नहीं है।
    4. आराजी के रास्ते हेतु रास्ते की भूमि को वास्तविक चालू रास्ता/परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/171 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति संबंधित तहसीलदार को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:18 IST
Reason: SelfAttested